5

मजदूरी

प्रस्तावना

5.1 इस समय भारत में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के लिए कोई सदृश तथा व्यापक मजदूरी नीति नहीं है । संगठित क्षेत्र में मजदूरी का निर्धारण आपसी समझौते के आधार पर किया जाता है । असंगठित क्षेत्र में, जहां श्रम का शोषण किया जा सकता है, जहां श्रम ठीक तरह संगठित नहीं होता तथा जहां कोई प्रभावी सौदेकारी शक्ति नहीं होती, वहां केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा अपनी-अपनी अधिकारिता के अधीन न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अंतर्गत अनुसूचित रोजगारों में मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित की जाती है । अधिनियम नियोक्ताओं को समय-समय पर ऐसी निर्धारित की गई न्यूनतम मजदूरी कर्मकारों को अदा करने के लिए बाध्य करता है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

5.2 आठवीं स्थायी श्रम समिति की सिफारिशों पर कतिपय रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करने की व्यवस्था करने के लिए 11.4.1946 को केन्द्रीय विधायी परिषद में न्यूनतम मजदूरी विधेयक पेश किया गया । न्यूनतम मजदूरी विधेयक भारतीय डोमिनियन विधान मंडल द्वारा पारित कर दिया गया तथा 15 मार्च, 1948 से प्रवृत्त हुआ । अधिनियम के तहत अधिनियम की अनुसूची में शामिल रोजगारों की मजदूरी की न्यूनतम दरों का निर्धारण/संशोधन करने के लिए राज्य तथा केन्द्र दोनों सरकार "समुचित सरकारें" हैं । न्यूनतम मजदूरी दरों में, विशेष भत्ते (परिवर्ती महंगाई भत्ता) जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़ा हुआ है, भी शामिल है, जिसमें अप्रैल तथा अक्तूबर में अर्थात वर्ष में दो बार संशोधन किया जाता है । केन्द्रीय सरकार तथा पच्चीस राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने भी परिवर्ती महंगाई भत्ते को न्यूनतम मजदूरी के एक घटक के रूप में अंगीकृत कर लिया है । केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्र के अंतर्गत व्याप्त रोजगारों के लिए अकुशल कर्मकारों के संबंध में निर्धारित/संशोधित मजदूरी की दरें सारणी 5.1 में दर्शाई गई हैं ।

राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी

5.3 1985 में आयोजित 28वें राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में सिफारिश की गई है कि राष्ट्रीय मूल निर्वाह मजदूरी स्तर को बढ़ाया जाए और उससे कम मजदूरी निर्धारित न की जाए चाहे कार्य प्रकृति, नियोजन प्रकृति तथा अन्य कारक अलग-अलग ही क्यों न हों। न्यूनतम मजदूरी में असमानता के कारण केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय मूल जीवन निर्वाह स्तर की न्यूनतम मजदूरी की धारणा अपनाई तथा इसे 1996 से 35 रुपये प्रतिदिन पर निर्धारित किया । यह 1991 में राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों तथा मूल्य-स्तर में अनुवर्ती वृद्धि पर आधारित था।

5.4 बढ़ते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने 1998 में न्यूनतम मजदूरी 40 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से तय की थी, जिसे बढ़ाकर 1.12.1999 से 45 रुपये और 1.9.2002 से 45 रुपये से बढ़ाकर 50/- रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है । केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर 1.02.2004 से राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी में संशोधन करते हुए इसे बढ़ाकर 66/- प्रतिदिन कर दिया गया है । माननीय केन्द्रीय श्रम मंत्री ने सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों से अनुरोध किया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी अनुसूचित रोजगारों में मजदूरी की निर्धारित/संशोधित दरें रु. 66/- प्रतिदिन से कम न रहें ।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का प्रवर्तन

5.5 केन्द्रीय क्षेत्र के अधीन न्यूनतम मजदूरी का प्रवर्तन केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के माध्यम से किया जाता है । के.औ.सं.तं (सी आई आर एम) द्वारा प्रवर्तन के मामलों की स्थिति सारणी 5.2 में दर्शाई गई है ।

5.6 राज्य क्षेत्र में प्रवर्तन राज्य औद्योगिक संबंध तंत्र द्वारा सुनिश्चित किया जाता है । वर्ष 2003-2004 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रवर्तन की स्थिति सारणी 5.3 में दर्शाई गई है।

5.7 सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में कुछ संशोधनों का परीक्षण करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की है ताकि इसके प्रावधानों को श्रमिकों के लिए और अधिक हितकर बनाया जा सके ।

मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936

5.8 मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 को उद्योग में नियोजित कर्मकारों की मजदूरी की अदायगी को विनियमित करने तथा उनके लिए अवैध कटौतियों तथा/अथवा मजदूरी की अदायगी में अनुचित देरी के विरूद्ध एक त्वरित एवं प्रभावी उपचार सुनिश्चित करने के लिए पारित किया गया था । 1000 से कम कर्मचारियों को नियोजित करने वाले उद्योगों की दशा में मजदूरी की अदायगी की निर्धारित तिथि माह की सातवीं तारीख है ।

मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 2002 की स्थिति

5.9 रुपये 1600/- प्र.मा. की वर्तमान मजदूरी सीमा काफी समय पूर्व वर्ष 1982 में निर्धारित की गई थी और तब से धन के मूल्य ह्रास के कारण इसकी अनुप्रयोज्यता में कमी आई है । इसे ध्यान में रखते हुए मजदूरी सीमा को रु. 6500/- तक बढ़ाने के साथ-साथ इसमें कछेक संदेहों/कमियों को हटाए जाने हेतु "मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 2002" नामक एक विधेयक दिनांक 16.5.2002 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था । तत्पश्चात् यह विधेयक श्रम एवं कल्याण संबंधी स्थायी समिति के पास भेजा गया था । स्थायी समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ वैधानिक विधि के बजाय अधिसूचना के माध्यम से मजदूरी सीमा में आवधिक परिशोधन करने की सिफारिश की । मंत्रालय के विधि एवं न्याय मंत्रालय के परामर्श से श्रम एवं कल्याण संबंधी स्थायी समिति की अधिकतर सिफारिशों को मान लेने का निर्णय लिया है और तद्नुसार इस विधेयक में अधिकारिक संशोधन नामतः मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार किया गया और इसे राज्य सभा द्वारा 02/12/2004 को पारित कर दिया गया ।

मणिसाना मजदूरी बोर्ड

5.10 कार्यरत पत्रकारों और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा शर्ते) तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1955 में कार्यरत पत्रकारों, समाचार पत्रों तथा समाचार एजेंसियों के गैर-पत्रकार कर्मचारियों की सेवा शर्तों के विनियमन का प्रावधान है । अधिनियम की धारा 9 और 13 में अन्य बातों के साथ-साथ क्रमशः कार्यरत पत्रकारों, समाचार पत्रों तथा समाचार एजेंसियों के गैर-पत्रकार कर्मचारियों के संबंध में मजदूरी की दरें निर्धारित या संशोधित करने के लिए दो मजदूरी बोर्डों के गठन का प्रावधान है । अधिनियम के अनुसार मजदूरी बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए :

1. **समाचार पत्र प्रतिष्ठानों से संबंधित नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति;**
2. **कार्यरत पत्रकारों/गैर पत्रकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति और**
3. **तीन निर्दलीय व्यक्ति, जिनमें से एक व्यक्ति उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए और जिसे मजदूरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए ।**

5.11 मजदूरी बोर्ड के गठन के लिए अधिनियम में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई हैं । सरकार ने सितम्बर, 1994 में जस्टिस राजकुमार मणिसाना सिंह की अध्यक्षता में दो मजदूरी बोर्डों का गठन किया-उनमें से एक कार्यरत पत्रकारों के लिए और दूसरा समाचार पत्रों तथा समाचार एजेंसियों के गैर-पत्रकार कर्मचारियों के लिए था । मजदूरी बोर्डों ने 25.7.2000 को अपनी अंतिम सिफारिशें सरकार को पेश की । सरकार ने इन सिफारिशों के कुछ गौण संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया और सरकार के निर्णयों को

भारत सरकार के राजपत्र (असाधारण) में क्रमशः 5.12.2000 तथा 15.12.2000 को अधिसूचित किया गया थां । तथापि, सिफारिशों को राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत क्रियान्वित किया जाना अपेक्षित है ।

15.12 सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से मजदूरी बोर्डों की सिफारिशों को क्रियान्वित करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाने के लिए कहा गया है ।

- (i) पंचाटों के क्रियान्वयन की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विशेष प्रकोष्ठों का गठन ।
- (ii) क्रियान्वयन की प्रगति को मॉनीटर करने हेतु त्रिपक्षीय मॉनीटरिंग समिति का गठन ।
- (iii) सिफारिशों के तत्वरित कार्यान्वयन हेतु राज्य श्रम प्रवर्तन तंत्र को सक्रिय बनाना ।
- (iv) 31.3.2001 को समाप्त तिमाही को सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में मंत्रालय को तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।

5.13 सिफारिशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए श्रम एवं रोजगार सलाहकार की अध्यक्षता में केन्द्रीय स्तर पर एक अनुवीक्षण समिति का गठन भी किया गया है । समिति के अन्य सदस्यों में संयुक्त सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) शामिल हैं और मंत्रालय में प्रभारी निदेशक, मजदूरी बोर्ड अनुभाग, सदस्य सचिव हैं।

5.14 समिति की दिनांक 5.3.2002, 13.11.2002, 6.6.2003 और 28.1.2004 को चार बैठकों का आयोजन किया गया है जिनमें यह निर्णय लिया गया कि पंचाटों के प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) अपने क्षेत्रीय श्रमायुक्तों के माध्यम से राज्य सरकारों के संपर्क में रहें, जिसके फलस्वरूप अनुपालन में व्यापक सुधार आया है । यह निर्णय भी लिया गया है कि केन्द्रीय अनुवीक्षण समिति उन राज्यों का दौरा करेंगी जहाँ पंचाटों का कार्यान्वयन संतोषजनक नहीं है । पंचाटों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए दौरे का प्रथम चरण असम और बंगाल के लिए 10-12 जुलाई, 2003 के दौरान निर्धारित किया गया था।

5.15 केन्द्रीय सरकार के निर्देशों के अनुसरण में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से अभी तक 1211 के लगभग समाचार पत्र प्रतिष्ठानों से सूचना प्राप्त हुई है । 1211 समाचार पत्र प्रतिष्ठानों में से 333 (27.5%) ने पूरी तरह से और 101 (8.34%) ने आंशिक रूप से पंचाट को क्रियान्वित किया है । 777 समाचार पत्र प्रतिष्ठानों (64.2%) ने अभी तक मणिसाना मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं किया है । 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से मात्र 19 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नियमित रूप से तिमाही प्रगति रिपोर्टे भेज रहे हैं । 10 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र बार-बार अनुस्मारक भेजने के बावजूद तिमाही प्रगति रिपोर्टे बिल्कुल नहीं भेज रहे हैं । मजदूरी बोर्ड की सिफारिशें 7 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू नहीं होती क्योंकि या तो वहाँ पर कोई भी समाचार पत्र प्रतिष्ठान नहीं हैं या समाचार पत्र प्रतिष्ठान बहुत छोटे हैं । 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सिफारिशों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए त्रिपक्षीय समितियों का गठन किया है । विवरण सारणी 5.4 में दर्शाए गए हैं ।

बोनस संदाय अधिनियम, 1965

5.16 बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में कर्मचारियों को बोनस के भुगतान की व्यवस्था है । जैसा कि अधिनियम में परिभाषित किया गया है । अधिनियम के अनुसार "कर्मचारियों" का अर्थ उन कर्मचारियों से है (प्रशिक्षुओं के अतिरिक्त) जो कि किसी उद्योग में कुशल अथवा अकुशल, हाथ से होने वाले काम, पर्यवेक्षी, प्रबंधकीय, प्रशासनिक, तकनीकी अथवा लिपिकीय कार्य करते हैं तथा जिन्हें मेहनत या प्रतिफल के रूप में प्रतिमाह 3500 रुपये तक वेतन अथवा मजदूरी मिलती है। तथापि, अधिनियम की धारा 12 के अनुसार, जिन कर्मचारियों को प्रतिमाह 2500 रुपये से अधिक मजदूरी मिलती है, उनके बोनस की गणना 2500 रुपये प्रतिमाह पर की जाएगी । अधिनियम की धारा 2 (13) तथा 12 के अन्तर्गत निर्धारित की गई उपर्युक्त वेतन सीमा में अंतिम संशोधन

दिनांक 9.7.95 को घोषित एवं दिनांक 1.4.93 को जारी बोनस संदाय (संशोधन) अधिनियम, 1995 नामक अध्यादेश द्वारा किया गया ।

5.17 पात्रता सीमा को 3500/- रुपए से बढ़ाकर 5000/-रुपए करने और गणना की अधिकतम सीमा को 2500/- रुपए से बढ़ाकर 3500/- रुपए करने के लिए बोनस संदाय अधिनियम 1965 में संशोधन करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इसी बीच, दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसमें पात्रता और बोनस की गणना की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर क्रमशः 7500/- रुपए प्रतिमाह और 3500/-रुपए प्रतिमाह करने की सिफारिश की गई है। राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में इस मामले की नए सिरे से जांच की जा रही है, क्योंकि निजी क्षेत्र के अतिरिक्त बोनस के लाभ केन्द्र ओर राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (केन्द्र व राज्य दोनों) और स्वायत्त संगठनों के कर्मचारियों को दिए जाने होंगे जिससे सरकारी कोष पर एक बढ़ा वित्तीय बोझ पड़ेगा इसमें निहित प्रक्रिया और संबंधित वित्तीय परिणामों को देखते हुए फिलहाल इस अधिनियम में संशोधन करने के लिए कोई निश्चित समयावधि बता पाना संभव नहीं है। बोनस के भुगतान से संबंधित वास्तविक वित्तीय भार की गणना करने की दृष्टि से, सार्वजनिक उद्यम विभाग और व्यय विभाग से सूचना मंगाई गई है। सभी राज्य/संघ शासित सरकारों से राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों के अनुसार, बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव पर अपने विचार भिजवाने का अनुरोध भी किया गया है।

सारणी 5.1

न्यूनतम मजदूरी का राज्य-वार ब्यौरा

31.12.2004 की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	केन्द्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित नियोजनों की संख्या	प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी की न्यूनतम और अधिकतम दरें (रु. में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	केन्द्रीय क्षेत्र			
	(i) कृषि	1	94.04	104.89
	(ii) पत्थर तोड़ने और पत्थर का चूरा करने वाली पत्थर खानें	1	76.12	192.11
	(iii) निर्माण और खनन	40	58.96	71.12
	(iv) रेलवे में भार लादने/उतारने और राख के गढ्ढे साफ करना	2	56.71	81.70
	(v) सुरक्षा सेवा	1	70 (मसौदा अधिसूचना)	70 (मसौदा अधिसूचना)
2.	आन्ध्र प्रदेश	65	45.00	110.00
3.	अरूणाचल प्रदेश	25	39.87	42.11
4.	असम	67	50.00	63.00
5.	बिहार	-	45.18	64.62
6.	छत्तीसगढ़	-	52.87	79.13
7.	गोवा	20	60.00	.94.00
8.	गुजरात	52	50.00	99.20
9.	हरियाणा	47	87.29	88.29
10.	हिमाचल प्रदेश	24	65.00	65.00
11.	झारखंड	61	64.73	64.73
12.	जम्मू व कश्मीर	18	45.00	45.00
13.	कर्नाटक	72	56.30	97.07
14.	केरल	40	67.14	169.04
15.	मध्य प्रदेश	36	54.56	82.58
16.	महाराष्ट्र	67	45.00	169.04
17.	मणिपुर	15	66.00	66.00
18.	मेघालय	24	70.00	70.00
19.	मिजोरम	3	84.00	84.00
20.	नागालैंड	37	50.00	50.00
21.	उड़ीसा	83	52.50	52.50
22.	पंजाब	60	82.65	82.65

23.	राजस्थान	61	73.00	74.00
24.	सिक्किम	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सिक्किम राज्य में दिनांक 1.10.2004 लागू किया गया है।		
25.	तमिलनाडु	65	52.15	125.20
26.	त्रिपुरा	12	50.00	53.00
27.	उत्तर प्रदेश	65	58.00	105.07
28.	उत्तराचंल	62	58.00	106.31
29.	पश्चिम बंगाल	55	62.42	203.86
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6	100.00	124.42
31.	चंडीगढ़	44	100.00	100.00
32.	दादरा व नगर हवेली	43	84.00	84.00
33.	दमन व दीव	71	50.00	60.00
34.	दिल्ली	29	110.10	110.10
35.	लक्षद्वीप	3	52.00	52.00
36.	पांडिचेरी	5	45.00	65.00

सारणी 5.2

केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सी आई आर एम) द्वारा वर्ष 2004-2005 के दौरान मजदूरी कानूनों के प्रावधानों का प्रवर्तन (अनंतिम)

क्र.सं.	अधिनियम का नाम		किए गए निरीक्षणों की संख्या	परिशोधित अनियमितताएं	आरम्भ किए गए अभियोजन	कितने दोष सिद्ध किए गए	दाखिल किए गए दावे
1	**2**		**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	**मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936**						
	i)	**खानें**	**4906**	**55092**	**1587**	**1470**	**4**
	ii)	**रेलवे**	**1540**	-	**2**	-	-
	iii)	**हवाई परिवहन**	**136**	**923**	**49**	**14**	--
2	**न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948**		**18587**	**211115**	**8838**	**5599**	**3843**

सारणी 5.3

विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 के प्रवर्तन के संबंध में विवरण।

2003-2004

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्रों का नाम	किए गए निरीक्षणों की संख्या	पाई गई अनियमि-तताएं	अनियमित-ताओं में सुधार	दायर मामलों की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या	अभियोजित किए गए व्यक्तियों की संख्या	जुर्माना की गई राशि (रुपयों में)
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)	(IX)
1.	आन्ध्र प्रदेश	52204	506	404	19820	15293	1185	134573
2.	असम	2831	584	416	14	13	-	600
3.	बिहार	297439	55996	55491	24590	2057	54	4800
4.	गोवा	1038	3202	140	9	15	36	29900
5.	गुजरात	60299	52769	29552	1878	477	522	698375
6.	हरियाणा	5212	-	-	2928	193	829	4136805
7.	जम्मू एवं कश्मीर	931	221	81	-	-	146	13600
8.	महाराष्ट्र	39585	52001	22475	33	116	94	119735
9.	मणिपुर	118	31	9	-	-	-	-
10.	मेघालय	633	-	-	-	-	-	-
11.	उड़ीसा	29798	23535	12212	57	2	214	12750
12.	राजस्थान	7681	266	113	293	239	251	80990
13.	सिक्किम	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 सिक्किम राज्य में दिनांक 1.10.2004 से लागू किया गया है।						
14.	उत्तरांचल	3322	1045	388	223	177	334	26960
15.	पश्चिम बंगाल	28478	6710	6340	215	2	1	64250
16.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	234	1170	1124	24	21	3	7500
17.	चण्डीगढ़	62	23	23	38	33	11	7500
18.	दादर व नागर हवेली	71	28	28	1	-	04	-
19.	दमन व द्वीप	295	-	-	-	-	-	-
20.	पांडिचेरी	8589	-	-	-	-	-	-

नोट : (1) छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कनार्टक, केरल, मध्य प्रदेश, नागालैंड, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश,दिल्ली से सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(2) अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, लक्षद्वीप से शून्य सूचना प्राप्त हुई ।

सारणी 5.4

मणिसाना मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों के कार्यान्वन हेतु राज्य स्तर पर मानीटरिंग समिति का गठन और तिमाही प्रगति रिपोर्ट की वर्तमान स्थिति दर्शाती हुई राज्यवार विवरणी

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	तिमाही प्रगति रिपोर्ट	प्रतिष्ठानों की संख्या	जिन्होंने क्रियान्वित किया है पूर्ण	आंशिक	नहीं किया	त्रिपक्षीय समिति गठित	कार्यान्वयन कोष्ठ
1.	आंध्र प्रदेश	प्राप्त नहीं	-	-	-	-	19.10.02	-
2.	असम	06/04	91	6	2	83	3.4.02	1
3.	अरूणाचाल प्रदेश	03/04	6	-	-	6	26.4.04	-
4.	बिहार	प्राप्त नहीं	-	-	-	-	19.6.02	-
5.	छत्तीसगढ़	9/03	4	1	-	3	25.3.03	-
6.	गोवा	06/04	7	2	2	3	25.9.2002	-
7.	गुजरात	06/04	19	16	-	3	29.1.03	-
8.	हरियाणा	प्राप्त नहीं	-	-	-	-	-	-
9.	हिमाचल प्रदेश	12/03	22	-	2	20	17.4.04	-
10.	जम्मू व कश्मीर	12/03	62	-	62	-	-	-
11.	झारखण्ड	प्राप्त नहीं	-	-	-	-	-	-
12.	कनार्टक	9/03	108	19	24	65	7.4.2003	-
13.	केरल	9/03	46	4	7	35	14.3.2001	-
14.	मध्य प्रदेश	प्राप्त नहीं	-	-	-	-	-	-
15.	मणिपुर	प्रात नहीं	-	-	-	-	-	-
16.	महाराष्ट्र	03/04	166	76	-	90	22.2.02	-
17.	नाागालैंड	प्राप्त नहीं	-	-	-	-	-	-
18.	उड़ीसा	प्राप्त नहीं	-	-	-	-	17.11.01	1
19.	पंजाब	12/03	12	9	-	3	-	-
20.	राजस्थान	3/03	*243	5	1	237	4.4.01	-
21.	तमिलनाडु	12/03	89	87	-	2	21.8.2003	-
22.	त्रिपुरा	03/04	18	-	-	18	जी, हां	-
23.	उत्तर प्रदेश	03/04	260	67	1	192	20.9.2001	-
24.	उत्तरांचल	प्राप्त नहीं	-	-	-	-	-	-
25.	पश्चिम बंगाल	प्राप्त नहीं	-	-	-	-	24.4.2003	-
26.	चंडीगढ़	06/04	10	7	-	3	-	-
27.	दिल्ली	06/04	36	28	-	8	6.5.03	-
28.	पांडिचेरी	03/04	12	6	-	6	-	-
	कुल		1211	333	101	777		

*207 प्रतिष्ठानों में एक व्यक्ति कार्यरत है

@ मिजोरम, सिक्किम और दादर व नागर हवेली राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में स्थित समाचारपत्र प्रतिष्ठान बहुत छोटे होने के कारण सिफारिशों लागू नहीं की गई है ।

@@ मेघालय, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन व दीव और लक्षदीप राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कोई समाचार प्रतिष्ठान नहीं हैं ।